

न्यायालय तहसीलदार (राजस्व) नोखा जिला बीकानेर

मिसल नं 158 सन् 2016

स्टेट जरिये पटवारी हल्का हिमरहर बनाम अमानासिम
 पुत्र श्री रामराम
 जाति मेधवाल
 निवासी हिमरहर

राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के अंतर्गत
 निर्णय दिनांक 29.9.16

आज पत्रावली पेश हुई। प्रकरण अनुसार पटवारी हल्का हिमरहर द्वारा इस आशय की रिपोर्ट पेश की गई कि अप्रार्थी श्री अमानासिम पुत्र श्री रामराम जाति मेधवाल निवासी हिमरहर ने खसरा नंबर 664 तादादी 0.04 वाके रोही हिमरहर में संवत् 2068 में नाजायज कब्जा करके अतिक्रमण किया है। उक्त रिपोर्ट पटवारी हल्का द्वारा बाद गिरदावर जॉच रिपोर्ट करवाई जाकर पेश की गई। जिसे दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी श्री अमानासिम पुत्र श्री रामराम जाति मेधवाल निवासी हिमरहर को राजस्थान भू-अधिनियम 1956 की धारा 91 के अंतर्गत नोटिस जारी किया जाकर तलब किया गया। गैर सायल श्री अमानासिम उपस्थिति/अनुपस्थित। गैर सायल की तरफ से सबूत में कोई ठोस प्रमाण पेश नहीं किया गया। अतः ऐसी स्थिति में अप्रार्थी श्री अमानासिम द्वारा खसरा नंबर 664 तादादी 0.04 गोचर/जोहड़ पायतन/अराजीराज/गै.मु.सड़क/रास्ता वाके रोही हिमरहर में संवत् 2068 में नाजायज कब्जा कर अतिक्रमण करने पर अतिक्रमी घोषित किया जाता है। श्री अमानासिम को अतिक्रमित रकबे से बेदखल किया जाकर कब्जा बहक सरकार लेने एवं शरह पड़त सालाना तावाना 2 रकबा 0.04 का 50 गुणा बतौर शास्ति 2/- रु. कायम की जाकर वसूल करने के आदेश दिये जाते हैं। गिरदावर हल्का को लिखा जावे मौके पर पहुंच कर अतिक्रमी को मौके से बेदखल कर कब्जा बहक सरकार प्राप्त करे। तहसील राजस्व लेखाकार को शास्ति की मांग कायमी हेतु लिखा जावे तथा पटवारी हल्का आरोपी शास्ति वसूली करने हेतु लिखा जावे। पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर बाद पालना रिपोर्ट त्रतीब तकमील दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 29.9.16 को खुले ईजलास न्यायालय में सुनाया गया।

तहसीलदार नोखा
 तहसीलदार (राजस्व)
 नोखा जिला बीकानेर

1817 रवि. 5
 के पत्र नं. 2
 26 5
 तहसीलदार राजस्व लेखाकार

160
 12